न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 06/2017

1. जगदेवसिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति मजबी साकिन वार्ड न. 2 गोलूवाला (निवादान) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. महेन्द्रकौर उर्फ मैंदो पुत्री कैलासिंह जाति मजबी साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
3. सुखदीपकौर उर्फ सन्दीपकौर उर्फ गोलाकौर पत्नि मखनसिंह पुत्री कैलासिंह जाति मजबी साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

बनाम

1. दलीपसिंह | पि. कैलासिंह जाति मजबी साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
2. मुकन्दसिंह | राजस्थान।
3. निकीकौर पुत्री कैलासिंह पत्नि गुरदयालसिंह जाति मजबी साकिन चक 68 एल एन पी तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।
4. वीरपाल पुत्री सम्मपूर्णसिंह पनि गुरसेवकसिंह जाति मजबी साकिन चक 29 एस टी जी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
5. सोमा पुत्री सम्मपूर्णसिंह पत्नि जगसीरसिंह जाति मजबी साकिन चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
6. राजूसिंह | पि. स्वर्णसिंह जाति मजबी साकिन चक 29 एस टी जी तहसील पीलीबंगा
7. बेअन्तसिंह | जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
8. जसपालकौर पुत्री स्वर्णसिंह पत्नि राजूसिंह जाति मजबी साकिन चक 2 एस जी आर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
9. जसविन्द्रकौर पुत्री स्वर्णसिंह पत्नि दर्शनसिंह जाति मजबी साकिन वार्ड न.) मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
10. मीनू पुत्री स्वर्णसिंह पत्नि गोरासिंह जाति मजबी साकिन मौलवी बास डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
11. ओ बी सी बैंक शाखा गोलूवाला जरिये शाखा प्रबन्धक ओ बी सी बैंक शाखा गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जसपाल सिंह दहिया — प्रार्थीगण
2. श्री संजय चाण्डक — अप्रार्थी सं. 1 व 2 4 ता 10
3. श्री रेशमा देवी — अप्रार्थी संख्या 2
4. श्री करणी सिंह राठौड — अप्रार्थी संख्या 11
5. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। — अप्रार्थी संख्या 12

–:: निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 17:25:10 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक:– 25/06/24

प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री ज[illegible] 30.01.17 को प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें संक्षिप्त तथ्य कि यह कि [illegible] के उक्त अनवान का [illegible] श्रीमान जी के न्यायलय में पेश हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण की कामयाबी की पूरी आशा है। यह कि [illegible] व अप्रार्थीगण न. 1 ता 10 पर हिन्दू विधि लागू होती है। यह कि [illegible] तहसील पीलीबंगा के चक [illegible] एस की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से चालू का खाता सं. 13/13 का प. न. 28/275 मु.न. 9 कि.न. 6/2/.038, 11 ता 25/3.795 है. प.न. 28/276 मु.न. 16 कि.न. 2 ता 8/1.771, 91.240, 10/.228, 12/2/.025, 13/1/.038, 14/2/.076, 157.114, की कुल 6.325 है. नहरी मय गै. मु. खाला, रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से अप्रार्थी न. 1, 2 के नाम 2/7 हिस्सा ब. हिस्सा बराबर बराबर, प्रार्थी न. 2, 3, व

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थी न. 3 के नाम 3/7 हिस्सा ब. हिस्सा बराबर बराबर व अप्रार्थी न. 4, 5 के नाम 117 हिस्सा ब. हिस्सा बराबर बराबर व अप्रार्थी न. 6 ता 10 के नाम 1/7 हिस्सा ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी है।

प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित उक्त कृषि भूमि प्रार्थी न. 1 के नाना व प्रार्थी न. 2 व 3 के पिता कैलासिंह पुत्र बचनसिंह जाति मजबी साकिन हॉसलिया तहसील पीलीबंगा की स्वः अर्जित कृषि भूमि है। जो प्रार्थी न. 1 के नाना व प्रार्थी न. 2 व 3 के पिता उक्त कैलासिंह को आवंटन हुई थी जिसकी कीमत की तमाम किश्तें उक्त कैलासिंह के द्वारा स्वंय जमा करवाये जाने के बाद उक्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एल के एस की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से चालू का खाता सं. 13/13 का प. न. 28/275 मु.न. 9 कि.न.6/2/.038, 11 ता 25/3.795 है. प.न. 28/276 मु.न. 16 कि.न. 2 ता 8 / 1.771, 91.240, 10/.228, 12/2/025, 13/1/038, 14/2/. 076, 15/.114, की कुल 6.325 है. नहरी मय गै. मु. खाला, रास्ता की खातेदारी सनद न. 842 दिनांक 6.2.2003 को जरिये श्री मान उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के द्वारा उक्त कैलासिंह पुत्र बचनसिंह जाति मजबी साकिन हॉसलिया तहसील पीलीबंगा के नाम से जारी की गई है। यह कि प्रार्थी न. 1 का नाना व प्रार्थी न. 2 व 3 का पिता उक्त कैलासिंह ने अपनी उक्त स्वंय अर्जित कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एल के एस की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से चालू का खाता सं. 13/13 का प. न. 28/275 मु.न. 9 कि.न. 6/2/.038, 11 ता 25/3.795 है. प.न. 28/276 मु. न, 16 कि.न. 2 ता 8/1.771, 91.240, 10/.228, 12/2/.025, 13/1/.038, 14/21,076, 15/,114, की कुल 6.325 है. नहरी मय गै. मु. खाला, रास्ता खातेदारी कृषि भूमि की एक लिखित वसीयत दिनांक 10. 11.2008 को बदुरूस्ति होश हवाश बिना नशा पता व बिना किसी दबाव के आपनी समझ व रजामन्दी से अपनी ईच्छा से रूबरू गवाहान हम प्रार्थीगण की सेवा चाकरी से खुश होकर हम प्रार्थीगण व अप्रार्थी न. 1 व 2 के पक्ष में ब. हिस्सा बराबर बराबर की है। अवलोकनार्थ उक्त दस्तावेज वसीयतनामा की प्रति पेश है। यह कि प्रार्थी न. 1 के नाना व प्रार्थी न. 2 व 3 के पिता उक्त कैलासिंह की दिनांक 3.12.2008 को मृत्यू हो चुकी है। जिससे प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कृषि भूमि उक्त कैलासिंह की मृत्यू पश्चात मुताबिक उक्त दस्तावेज वसीयत नामा के उक्त वर्णित कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र की दफा 3 ता 5 में वर्णित उक्त 6.325 है. कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी न. 1 व 2 को ब. हिस्सा बराबर बराबर जरिये वसीयत प्राप्त हो चुकी है। जिसके मुताबिक उक्त वसीयत नामा के प्रार्थीगण व अप्रार्थी न. 1 व 2 ब. हिस्सा बराबर बराबर मालिक व खातेदार होने की घोषणा पाने के हकदार है। जो की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यह कि अप्रार्थीगण ने हम प्रार्थीगण के हक व हिस्सा को धोखा में रख कर व हम प्रार्थीगण को बिना सूचित किये व राजस्व कर्मचारियों से मिलि भगत कर प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित अनुसार उक्त कैलासिंह की कृषि भूमि का इन्तकाल न. 243 दिनाक 5.4.2014 दर्ज करवा लिया है। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को करीबन 3 माह पूर्व पटवारी हल्का से जमाबन्दी चालू लिये जाने के समय हुई है। जबकि उक्त कैलासिंह की उक्त कृषि भूमि का मुताबिक उक्त वसीयत ही ईन्त काल दर्ज किये जाने की अन्तिम ईच्छा थी। अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि का उक्त कैलासिंह की मृत्यू पश्चात उक्त अनुसार विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने के हकदार नहीं है। यह कि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एल के एस की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से चालू का खाता सं. 13/13 का प. न. 28/275 मु.न. 9 कि.न.6/2/038, 11 ता 25/3.795 है. प.न. 28/276 मु.न. 16 कि.न. 2 ता 8/1.771, 91.240, 10/.228, 12/2/.025, 13/1/.038, 14/21.076, 15/.114, की कुल 6.325 है. नहरी मय गै. मु. खाला, रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी न. 1 ता 3 व अप्रार्थी न. 1 व 2 को ब. हिस्सा बराबर बराबर के मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जावे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 ता 8 में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण न. 1 ता 3 कृषि भूमि के मालिक व खातेदार होने की घोषणा पाने के हकदार । प्रार्थीगण को मुताबिक वसीयत प्राप्त उक्त हक व हिस्सा अनुसार काब्ज काश्त चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के खिलाफ एक गुट बना लिया है जो प्रार्थीगण को क्षति पहुँचाने पर आमादा हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की उक्त कृषि भूमि को [illegible] व अन्य तरीका से अन्तरण करने पर व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने पर [illegible]दा हैं [illegible] अप्रार्थीगण अपने गल्त मकसद में कामयाब हो गये तो हम प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। [illegible] किसी हर्जाना से नहीं हो सकेगी। इस लिये प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के [illegible] फैसला दावा पाने के हकदार है कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की दफा 2 ता 8 में वर्णित उक्त कृषि [illegible] को ता फैसला दावा रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण नहीं करें व रिकॉर्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखें। जबकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निशेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 2 एल के एस प. न. 28/275 मु.न. 9 कि.न.6/2/.038, 11 ता 25/3.795 है. प.न. 281276 मु. न. 16 कि.न. 2 ता 8/1.771, 9/.240, 10/.228, 12/2/.025,

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 17:25:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

13/1/.038, 14/2/.076, 15/.114, की कुल 6.325 है. नहरी मय गै. मु. खाला, रास्ता खातेदारी कृषि भूमि को ता फैसला दावा रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण नहीं करें व रिकॉर्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखें। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

दिनांक 30.01.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता रिपोर्ट के बाद अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर के आधार पर दर्ज रजिस्टर कर चक 2 एल के एस प. न. 28/275 मु.न. 9 कि.न.6/2/.038, 11 ता 25/3.795 है. प.न. 28/276 मु. न. 16 कि.न. 2 ता 8/1.771, 9/.240, 10/.228, 12/2/.025, 13/1/.038, 14/2/.076, 15/.114, की कुल 6.325 है. नहरी मय गै. मु. खाला, रास्ता खातेदारी कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण को भूमि पर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए।

दिनांक 03.03.2017 को प्रतिवादी संख्या 1,2, व 4 ता 10 की ओर से श्री संजय चाण्डक अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री रेशमा देवी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से श्री करणी सिंह राठौर अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। उक्त अनवान प्रकरण में दिनांक 11.08.17 को अधिवक्त द्वारा प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी संख्या– 1,2,4 ता 10 का जवाब प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसमें संक्षिप्त तथ्य है– प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 1 में अंकित कथन कि उक्त अनवान का दावा श्रीमान जी के न्यायालय में पेश हो चुका है यहां तक स्वीकार है। शेष कथन कयास पर आधारित होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 2 में अंकित कथनों को न्यायालय समक्ष प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थीगण पर ही है। प्रार्थीगण ने इस मद में अंकित कथनों की पुष्टि में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 3 में अंकित तथ्य राजस्व रिकार्ड से संबंधित होने के कारण सही है इसलिए स्वीकार है। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 4 में अंकित कथनों को न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने का भार प्रार्थीगण पर ही है। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 5 में अंकित कथन सर्वथा असत्य एवं विधि–विरूद्व दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–6 में जो–जो कथन दर्ज किए हुए वास्तविकता के विपरित एंव विधि–विरूद्ध दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है।

प्रार्थीगण ने दिनाक 23/01/17 को श्रीमान न्यायालय के समक्ष जो यह वाद–पत्र एंव साथ ही यह प्रार्थना–पत्र वादाधिन कृषि भूमि की बाबत पेश किया है उस दिनाक को उक्त वादाधिन कृषि भूमि केलासिंह पुत्र बचनसिंह मजहबी के नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं थी। केलासिंह की मृत्यु के पश्चात उनके तमाम वारीसान के नाम जरिए इन्तकाल संख्या– 243 दिनाक 05/04/14 से उक्त वादाधिन कृषि भूमि बहि०ब० राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी थी। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी में अंकित है। इसलिए प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र सही तथ्यों के विपरित प्रस्तुत हुआ होने के कारण एव तथाकथित दस्तावेज वसीयतनामा के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने हकदार नहीं है एंव प्रार्थना–पत्र प्रथम द्रष्टवा खारीज योग्य है। यह कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–7 में जो–जो कथन दर्ज किए गए हैं खिलाफ कानून, खिलाफ रिकार्ड, खिलाफ न्याय के सिद्वांतो के दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी नं० 1 को अपनी माता नीकी कौर के माध्यम से इन्तकाल संख्या– 2 दिनाक 05/04/14 का ज्ञान भलीभांति हो चुका था। ओर इसी प्रकार प्रार्थी नं० 2 व 3 भी उक्त इन्तकाल का भलीभांति ज्ञान था परन्तु इसके बावजूद अपने प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 7 में जानकारी हल्का पटवारी से हुई होने का जो कथन दर्ज किया है वह स असत्य व न्यायालय से सही तथ्य छिपाकर गलत ढंग से अनुतोष प्राप्त करने की कोशीश की है। इसलिए प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र सही तथ्यों को छिपाकर गल्त कथनों के आधार पर जो प्रस्तुत किया गया है वह खारीज फरमाया जावे। यह कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–8 में अंकित कथन बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वी[illegible]र्थीगण का प्रार्थना–पत्र आधारहीन एंव वास्तविकता के विपरित प्रस्तुत हुआ होने के कारण खा[illegible] योग्य [illegible] प्रार्थी नं० 1 का केलासिंह पुत्र बचनसिंह मजहबी की कृषि भूमि में कानून [illegible] प्रार्थी नं० 1 को कृषि भूमि की आवश्यकता थी तो उसे अपनी माता नीकी[illegible]में आने वाली भूमि में से अपना जो भी हिस्सा बनता हो उसकी मांग अलग से करनी चाहिए थी। इ[illegible] प्रकार प्रार्थी नं० 2 व 3 के नाम से इन्तकाल संख्या– 243 दिनाक 05/04/14 में रकबा उनके हिस्सानुसार दर्ज हो चुका था। यदि इस हिस्सा के संबंध में उन्हे किसी भी प्रकार से उजर व ऐतराज होता तो उन्हे अपनी तथाकथित वसीयत के आधार पर उक्त इन्तकाल संख्या– 243 दिनाक 05/04/14 के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में उचित कार्यवाही करनी चाहिए थी जो उन्होने अभी तक नहीं की है। इसलिए अब तथाकथित वसीयतनामा के आधार पर प्रार्थीगण अनुतोष पाने के हकदार नहीं है। प्रार्थना–पत्र महज अप्रार्थीगण को परेशान करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 17:25:10 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

की गर्ज से पेश किया गया है जो मय हर्जाना व खर्चा के खारीज योग्य है। इयह कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 9 में अंकित कथन बिना दस्तावेजी साक्ष्य के दर्ज किए गए है। प्रार्थीगण का वादाधिन कृषि भूमि पर कब्जा काश्त होने संबंधि कोई दस्तावेजी साक्ष्य वाद–पत्र / प्रार्थना–पत्र के साथ पेश नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई–निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के भी हकदार नहीं है। दोयम, राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदार टिनेन्ट के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रार्थीगण कानूनः प्राप्त नहीं कर सकते है। इसलिए प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 9 में अंकित कथन विधि–विरूद्व दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारीज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण ने अपने इस प्रार्थना–पत्र के माध्यम से खातेदार अप्रार्थीगण के विरूद्व जो अनुतोष चाहे है वे असत्य एंव विधि–विरूद्व दर्ज किए हुए होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारीज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 3 व 12 को अनेक अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

–आदेश–

पत्रावली में उभय पक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया उभय पक्षों के हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 30.01.2017 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद शामिल वाद हो। यह आदेश आज दिनांक 25/06/24 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 17:25:10 IST
Reason: SelfAttested